न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. भोपाल केम्प

निगरानी – 4 ... /2018/सीहोर/भू.रा. प्रकरण क्र. ..../निगरानी/2017–18

सुबे सिं... आत्मज श्री जयमलराम,
आयु–... ग्राम–देलावाडी,
तहसील ... जिला – सीहोर,
द्वारा, मु... आम
सुरजभा... आत्मज श्री खेताराम,
आयु–... निवासी – ग्राम देलावडी,
तहसील ... जिला–सीहोर, मध्यप्रदेश,

..................आवेदक

विरूद्ध

1. अंजली ... पुत्री रामसेवक, आयु–43 वर्ष,
निवासी ... नगर मनेवाडा रोड नागपुर,
2 वन्दना ... पुत्री रामसेवक, आयु–45 वर्ष,
निवासी ... सदाशिवपांडे महल से सामने, भंडारा (महाराष्ट्र)
3. किरण ... रामसेवक, आयु–47 वर्ष,
निवासी– ... हाडा शो रूम के पास, भण्डारा (महाराष्ट्र)
4. श्रीमति ...बाई पत्नि श्री रामसेवक, आयु–वयस्क,
5. सतीश ... आत्मज श्री रामसेवक, आयु–वयस्क,
क्रमाक ... कृषक ग्राम मेहराखेड़ी,
तहसील ... जिला–सीहोर, (मध्यप्रदेश)
निवासी– ...पुर नागपुर, हाल निवासी–
क्वार्टर ... टाईप –4 आल्ड ब्लाक,
सी.पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी, सेमिनारी हिल नागपुर (महाराष्ट्र)
6 श्रीमति ... चौहान पत्नि श्री रघुनन्दन सिंह चौहान, आयु–32 वर्ष,
चोपड़ा ... रेहटी, जिला – सीहोर, (मध्यप्रदेश)

...........अनावेदकगण

अभिभावक श्री राजेन्द्र ... द्वारा आज दिनांक 3-05-18 को पेश।

निगरानी म.प्र. भू –- राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत्

महोदय,

निवेदन है कि, अधी... न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल द्वारा प्रकरण क्र. 233/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 24/04/18 से परिवेदित होकर यह निगरानी समयावधि में न्याय प्राप्ति हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

<u>प्रकरण के तथ्य इस</u> प्रकार है :–

1. यह कि प्रतिवादी क्र. ... ने जिस भूमि का विक्रय किया वह भूमि तहसील न्यायालय रेहटी के प्रकरण क्रमांक 103 ... 27 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 28/06/2011 के द्वारा बटवारो में अपनी मा... प्रतिअपीलार्थी क्रमाक –- 4 से प्राप्त हुई थी।
2. यह कि, प्रतिवादी ... ने षड़यंत्र कर अपनी बहनो प्रतिअपीलार्थी क्र. 1, 2, 3 से बटवारा प्रकरण क्रमांक 103 ... 27–10–11 आदेश दिनांक 28/06/2011 की अपील अधीनस्थ अनुविभागीय अधिका... न्यायालय में प्रस्तुत करवा कर एंव अपनी ओर से कोई प्रतिरक्षण न करते हुए अपील स्वी...र होने पर तत्काल पूर्ण भूमि प्रतिअपीलार्थी क्र. 6 को धोखा–धड़ी पूर्वक विक्रय की गई, चूंकि ...अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी क्र. –5 (विक्रेता) आश्वस्त करता रहा कि वह उसके पक्ष में विक्रय ...नुसार शीघ्र नांमान्तरण करवा देगा परन्तु ऐसा नही किया गया।
3. यह कि प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र. 3 एवं 4 को बगैर सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण का निराकरण किया है, इससे अनावेदक पक्ष द्वारा प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक– निगरानी–4321/2018/सीहोर/भू.रा.

सुबे सिंह व अन्य आदि विरूद्ध अंजली तिवारी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभि... आदि के हस्ता...
23-06–2019	आवेदकगण की ओर से श्री एच.आर. पटेल अभिभाषक उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 233/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24–04–2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा किये गये बटवारे को अनुविभागीय अधिकारी बुधनी ने इस आधार पर निरस्त किया है कि पैत्रिक भूमि का बटवारा किये जाने पर पुत्रियों को नहीं छोड़ा जा सकता एवं हक से अधिक हिस्से पर बटवारा नहीं किया जा सकता। तहसीलदार द्वारा बिना प्रक्रिया अपनाये हुये किये गये बटवारा आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया है। जिसके विरूद्ध आवेदकगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। 4/ जहॉ तक आवेदकगण द्वारा उठाये गये तर्को का प्रश्न है आवेदक द्वारा उठाये गये तर्कों का निराकरण व्यवहार न्यायालय से ही सकता है। आवेदक चाहे तो व्यवहार न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 03/6/19 सदस्य	